आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से., जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज की अध्यक्षता में कार्य स्थलों पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न रोकने/परिवाद समितियों के गठन एवं समिति की नियमित बैठक करने के संबंध में दिनांक 26.08.2013 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

–: कार्यवाही :–

कार्य स्थलों पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न रोकने/परिवाद समितियों के गठन एवं समिति की नियमित बैठक करने के संबंध में दिनांक 26.08.2013 को संबंधित पदाधिकारियों/कार्यालय प्रधान के साथ बैठक की गई और बताया गया कि **रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या 666–70/1992** – विशाका एवं **अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 13.08.1997 को पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने हेतु दिशा–निदेश एवं परिवाद समितियों के गठन** के संबंध में विभाग द्वारा निदेश प्राप्त है।

इस संबंध में यह भी बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त वाद में दिनांक 13.08.1997 को पारित न्यायादेश के आलोक में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना द्वारा संकल्प ज्ञापांक 2058, दिनांक 17.04.2011 निर्गत किया जा चुका है।

तद्नुसार महिला कर्मचारियों के अधिकारों का प्रचार तथा उनके प्रति जागरूकता पैदा किया जाना है तथा सभी विभाग/कार्यालय/बोर्ड/निगम/निकाय/अर्द्ध सरकारी/गैर सरकारी स्थलों पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। साथ ही, संकल्प की कंडिका 3(जी.) के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निदेश के अनुपालन में प्रत्येक विभाग एवं विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में परिवाद समितियों का गठन किया जाना है और उक्त समिति यथा सभव महिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में हो और इसमें कम से कम आधे सदस्य महिलाएँ हों।

प्राप्त विभागीय निदेश के आलोक में पूर्व में ही पत्रांक 345/सी., दिनांक 19.03.2013 के द्वारा सभी विभागों को तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया है। साथ ही, जिला स्तर पर उक्त निमित्त उप विकास आयुक्त, किशनगंज को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है। उक्त आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी विभागाध्यक्षों को निदेश दिया गया कि वे अविलम्ब परिवाद समिति का गठन कर लें तथा हर दो माह पर अर्थात् फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एवं दिसम्बर के प्रथम सप्ताह तक बैठक की प्रति एवं सूचना नोडल पदाधिकारी/अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करा दी जाय।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश एवं तद्नुसार विभागीय निदेश के आलोक में समाहरणालय, किशनगंज के लिए परिवाद समिति का गठन करने संबंधी जानकारी दी गई। तद्नुसार

सभी संबंधित विभागों को भी समिति का गठन करने हेतु निदेशित किया गया तथा गठित समिति को प्रत्येक दो माह में नियमित रूप से बैठक करने हेतु भी निदेशित किया गया।

अंत में, सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह./–
(आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से.)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।

ज्ञापांक 1031 /सी., किशनगंज, दिनांक 26.08.2013.

प्रतिलिपि :: सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: समाहरणालय, किशनगंज के गठित परिवाद समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं वृहद् प्रचारार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: उप विकास आयुक्त–सह–नोडल पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: पुलिस अधीक्षक/अपर समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच/सिविल सर्जन/अनुमंडल दंडाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ की सेवा में सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :: प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को कार्यालय पत्रांक 3277, दिनांक 26.02.2013 एवं तद्नुसार इस कार्यालय के पत्रांक 345/सी., दिनांक 19.05.2013 के क्रम में सेवा में सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :: प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण निदेशालय), बिहार, पटना को कार्यालय पत्रांक 1801, दिनांक 30.07.2013 एवं तद्नुसार इस कार्यालय के पत्रांक 345/सी., दिनांक 19.05.2013 के क्रम में सेवा में सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :: माननीय सदस्य, राजस्व पर्षद–सह–अध्यक्ष, राज्य स्तरीय समीक्षा एवं शिकायत निवारण समिति, समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण, निदेशालय), बिहार, पटना को पत्रांक 1801, दिनांक 30.07.2013 के क्रम में सेवा में सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :: जिला प्रबंधक, आई.टी., समाहरणालय, किशनगंज को सूचनार्थ एवं जिला के अधिकारिक वेब साईट पर अपलोड करते हुए सभी संबंधितों को ई–मेल हेतु प्रेषित।

26/8/13
(आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से.)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।